

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1246/2026

Khartaram

----Appellant

Versus

Smt. Gomati Devi

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Gaurav Kansara Mr. Lovely Kansara
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

05/05/2026

प्रार्थना-पत्र संख्या 01/2026 कार्यालय द्वारा क्षतिपूर्ति राशि जमा कराए जाने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र पेश करने की आवश्यकता से उन्मुक्ति प्रदान करने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है, जिस पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन है कि बीमा कम्पनी के द्वारा सम्पूर्ण अवार्ड राशि जमा करवाई जा चुकी है एवं दावेदारों को प्राप्त भी हो चुकी है, ऐसी स्थिति में अपील पेश करने से पूर्व 25 हजार रुपये की राशि जमा कराए जाने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र पेश करने की आवश्यकता से उन्हें उन्मुक्ति प्रदान की जावे।

विचार किया गया। चूंकि सम्पूर्ण अवार्ड राशि जमा कराई जा चुकी है, अतः उक्तानुसार प्रमाण-पत्र पेश करने की शर्त से अपीलार्थी को उन्मुक्ति प्रदान की जाती हैं।

धारा-5 मियाद अधिनियम के नोटिस आदेशिका शुल्क मय नोटिस अतिरिक्त प्रति पेश करने पर प्रत्यर्थीगण को जारी किए जावें।

(SHUBHA MEHTA),J